न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट डाबरी)

पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस

मुकदमा नं0 1/27 /16

निर्णय दिनांक : 09.06.2016

उनवान

1. वीर सिंह पुत्र सुरजन सिंह,
2. दलीप सिंह पुत्र सुरजन सिंह जातियान रायसिख निवासी ग्राम शेखपुर तह0 रामगढ जिला अलवर राज0।

..............................वादीगण

बनाम

1. जंगीर सिंह पुत्र सुरजन सिंह
2. महेन्द्र सिंह पुत्र सुरजन सिंह
3. गुरमीत सिंह पुत्र सुरजन सिंह
4. जमना बाई पुत्री सुरजन सिंह
5. जल्लो बाई पुत्री सुरजन सिंह जातियान रायसिख निवासियान ग्राम सजराना तहसील फाजिलका जिला फिरोजपुर पंजाब।

..................प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 188 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 593 रकबा 0.08, 594 रकबा 0.82, 597 रकबा 0.70, 634 रकबा 0.70, 644 रकबा 1.08 कुल किता 5 रकबा 3.38 हैक्ट0 आराजी वाके ग्राम शेखपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है जो वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है और मिन वादीगण उपरोक्त आराजी के रिकॉर्डेड कब्जे काश्त खातेदार है जिसके लिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा नां करे और नाजायज रूप से उनको उपरोक्त विवादित आराजी से बेदखल ना करे व वादीगण की फसल को अवैध रूप से ना काटे ऐसा करने से बाज आवे।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत डाबरी में दिनांक 09.06. 2016 को पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादीगण राजस्व लोक अदालत में उपस्थित आये।

पत्रावली का लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट में अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से प्रतीत हुआ कि उक्त आराजी का वाद पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा उनवान जंगीर सिंह बनाम वीर सिंह मुकदमा नं0 1/355/ 2008 निर्णय दिनांक 07.12.2010 को निर्णित हो चुका है। उक्त वाद की इजराय की पालना की जा चुकी है। अतः उक्त वाद रेसजूडीकेटा की श्रेणी में आने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वादीगण का वाद इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 07.12.2010 को निर्णित किये जाने के कारण प्रकरण रेसजूडीकेटा की श्रेणी में होने के कारण खारिज किया जाता है। तदानुसार खर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत डाबरी में सुनाया गया।

*उपखण्ड अधिकारी*
*रामगढ़ (अलवर)*

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट डाबरी)

पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस

मुकदमा नं0 1 / 27 / 16 निर्णय दिनांक : 09.06.2016

उनवान

1. वीर सिंह पुत्र सुरजन सिंह,
2. दलीप सिंह पुत्र सुरजन सिंह जातियान रायसिख निवासी ग्राम शेखपुर तह0 रामगढ जिला अलवर राज0।

..............................वादीगण

बनाम

1. जंगीर सिंह पुत्र सुरजन सिंह
2. महेन्द्र सिंह पुत्र सुरजन सिंह
3. गुरमीत सिंह पुत्र सुरजन सिंह
4. जमना बाई पुत्री सुरजन सिंह
5. जल्लो बाई पुत्री सुरजन सिंह जातियान रायसिख निवासियान ग्राम सजराना तहसील फाजिलका जिला फिरोजपुर पंजाब।

..................प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

## पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 07.12.2010 को निर्णित किये जाने के कारण प्रकरण रेसजूडीकेटा की श्रेणी में होने के कारण खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.06..2016 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

*उपखण्ड अधिकारी*
*रामगढ़ (अलवर)*